

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
बमुकद में ईबतदाई



अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

प्रीठासीन अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :- 109/2025
वाद पत्र अं. धारा 88/53 आर.टी.ए.

1. ओमप्रकाश पुत्र स्व. श्री पृथ्वीराम जाति जाट निवासी ढाबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
2. सोहनलालपुत्र स्व. श्री पृथ्वीराम जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
3. राकेश कुमार पुत्र स्व. श्री पृथ्वीराम जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

-वादीगण

बनाम्

1. समेशता पुत्री स्व. श्री पृथ्वीराम जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
2. कृपाराम पुत्र श्री भादरराम जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3. कालूराम पुत्र श्री भादरराम जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
4. मदनलाल पुत्र श्री भादरराम जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
5. सन्तरो पत्नी श्रीभादरराम जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
6. विमला पत्नी श्रीकृष्ण कुमार जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
7. महेश्वरी पत्नी श्री अन्तराम जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
8. अमीलाल पुत्र श्री हरजी जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
9. इन्द्रराम पुत्र श्रीहरजी जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
10. गंगाराम पुत्र श्रीहीरा जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
11. गुडडीदेवी पुत्री श्रीसरदारा जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
12. नन्दराम पुत्र श्री हीराजाति जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
13. बालूराम पुत्र श्री बख्तावर जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
14. मंगतूराम पुत्र श्रीहरजी जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
15. रूपराम पुत्र श्रीसरदारा जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
16. शेराराम पुत्र श्री सरदारा जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
17. सुगती पुत्री श्री हीरा जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
18. सुरजादेवी पुत्री श्रीसरदारा जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
19. साहबराम पुत्र श्री बख्तावर जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
20. हेतराम पुत्र श्रीहरजी जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
21. सन्तोष पत्नी श्रीबृजलाल जाति जाट निवासी ढाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
22. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक :- 4.3.2025

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई
रुबरु हमारे बहाजरी श्री कुलदीप मूण्ड वकील वादी मिन जामिन मुदई वकील प्रति. 1 गगन मिद्धा मिन जानिब
मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है एव तहसीलदार भू.अ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक
अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:- चक 6 बीजीपी-बी

महायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

औमप्रकाश, सोहनलाल, राकेश कुमार पि. पृथ्वीराम बहिब जाति जाट निवासी ढाबा

प.न.	मु.न.	किला नं.
200/138	20	6,7,8/0.759,
201/138	19	10,12,13,14/1.012

विमला पत्नि कृष्ण कुमार 0.266 हि. राहिन एसबीआई ढाबा महेश्वरी पत्नि अन्तराम 0.468 हि. कालूराम, कृपाराम, मदनलाल पि.भादरराम सन्तारो देवी पत्नि भादरराम बहिब 0.456 हि. रूपराम सुरजा देवी, गुड़डी देवी पि. सरदारा बहिब 1.366 हि.शेराराम पुत्र सरदारा 0.227 हि. जाति जाट निवासी ढाबा

प.न.	मु.न.	किला नं.
200/138	20	13,14,15,17/1.012,
201/138	19	11,17,18,24/1.012,
201/139	32	3/1/0.215, 3/2/0.038 गै.मु.रास्ता
201/140	33	11,12/0.506

3. औमप्रकाश, सोहनलाल, राकेश कुमार पि. पृथ्वीराम बहिब जाति जाट निवासी ढाबा

प.न.	मु.न.	किला नं.
199/134	7	14/0.253,

4. सन्तोष पत्नि बृजलाल जाति जाट निवासी ढाबा राहिन एसबीआई ढाबा

प.न.	मु.न.	किला नं.
199/134	7	16,25/0.506,
200/134	6	20/0.253,

अतः उक्त वाद अपवादित खाता से संबंधित है पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है फिर भी यदि किसी पक्षकार का हित एकपक्षीय होने के कारण प्रभावित होता है तो उसका वाद पुनः संस्थित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार भूअ.संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भूअ./2024/4418 दिनांक 12.11.2025 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिग्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

नोट :- तहसीलदार संगरिया ने पृथ्वीराम की चक 3 बीजीपी के खाता संख्या 97/81 में कब्जा काश्त नहीं होना बतलाया है, इसलिए इनका नाम कलमजन किया जावे।

निज..... मुब्लिक..... बाबत..... खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक..... को अदा करे।

बसब मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.....4.3.2024.....को खुले न्यायालय में जारी किया गया।


(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया